क्रम संख्या–157

पंजीकृत संख्या–यू0ई0/डी0एन0–30/2006–09
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 19 अक्टूबर, 2006 ई0
आश्विन 27, 1928 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
शिक्षा अनुभाग–2

संख्या 317/XXIV-2/2006
देहरादून, 19 अक्टूबर, 2006

अधिसूचना

विविध

प0आ0–131

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके तथा इस विषय के विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए राज्यपाल महोदय उत्तरांचल की शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तरांचल शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा नियमावली, 2006

भाग 1–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा नियमावली, 2006 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2–उत्तरांचल शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा एक राज्य सेवा है, जिसमें समूह 'क' एवं 'ख' के पद सम्मिलित हैं।

परिभाषाएँ

3—जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में—

(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ख) 'भारत का नागरिक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो "भारत का संविधान" के भाग II के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है;

(ग) 'आयोग' से उत्तरांचल लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(घ) 'संविधान' से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है;

(ङ) 'सरकार' से उत्तरांचल राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(च) 'राज्यपाल' से उत्तरांचल के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(छ) 'सेवा का सदस्य' से इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त नियमावली या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ज) 'सेवा' से उत्तरांचल शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा अभिप्रेत है;

(झ) 'मौलिक नियुक्ति' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो; तथा

(ञ) 'भर्ती का वर्ष' से कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग 2—संवर्ग

सेवा संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक उपधारा (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिए जाएं, सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जो परिशिष्ट में दी गयी है: परन्तु—

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे या राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार आस्थगित कर सकेंगे, कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थाई अथवा अस्थाई पद सृजित कर सकते हैं जैसा वे उचित समझें।

भाग 3—भर्ती

भर्ती का स्त्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी, अर्थात:—

(एक) निदेशक, विद्यालयी शिक्षा	परिशिष्ट के क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त अपर शिक्षा निदेशकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 03 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(दो) अपर शिक्षा निदेशक (मुख्यालय), मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, अपर निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, सचिव उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा परिषद्	परिशिष्ट के क्रम संख्या 3 पर उल्लिखित पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को उत्तरांचल शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा में 20 वर्ष की सेवा तथा अपने वेतनमान में 02 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(तीन) संयुक्त शिक्षा निदेशक (मुख्यालय), मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, अपर सचिव उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा परिषद्, जिला शिक्षा अधिकारी, वरिष्ठ विभागाध्यक्ष/संयुक्त निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्	परिशिष्ट के क्रम संख्या 4 पर उल्लिखित पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ वेतनमान श्रेणी एक के अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को उत्तरांचल शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा में कुल 15 वर्ष की सेवा तथा अपने वेतनमान में 02 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(चार) प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, वरिष्ठ प्रधानाचार्य सह विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, अपर जिला शिक्षा अधिकारी	परिशिष्ट के क्रम संख्या 5 पर उल्लिखित पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ वेतनमान श्रेणी दो के अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को अपने वेतनमान में 04 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अथवा अपने वेतनमान में एक वर्ष से कार्यरत हों एवं उत्तरांचल शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा में कुल 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(पाँच) प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या राजकीय इण्टर कॉलेज/राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज, उप प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, विभागाध्यक्ष/उप निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उप निदेशक (मुख्यालय), संयुक्त सचिव उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा परिषद्	प्रथमतः प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या राजकीय इण्टर कॉलेज/राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज (समूह 'ख' उच्चतर) के पद पर मौलिक रूप से कार्यरत अधिकारियों से, उपर्युक्तवत पदों को भरे जाने के उपरान्त मौलिक रूप से– (क) राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, सहायक सचिव (राजपत्रित) उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा परिषद्, तथा शोध अधिकारी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के पदों और अन्य समकक्ष पदों, (ख) राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की प्रधानाध्यापिका और समकक्ष पदों, (ग) समूह 'ख' उच्चतर के पदों– उप प्रधानाचार्य/उप प्रधानाचार्या राजकीय इण्टर कॉलेज/राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज, वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, वरिष्ठ प्रवक्ता/सहायक निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, विधि अधिकारी, उप सचिव उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा परिषद्, स्टॉफ ऑफिसर मुख्यालय, पर नियुक्त, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से क्रमशः 68 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 22 प्रतिशत के अनुपात में, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(छः) उप प्रधानाचार्य/उप प्रधानाचार्या राजकीय इण्टर कॉलेज/राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज, वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, वरिष्ठ प्रवक्ता/सहायक निदेशक राज्य	(एक) 50 प्रतिशत आयोग द्वारा संचालित संयुक्त राज्य सेवा परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा, (दो) 50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त उप खण्ड शिक्षा अधिकारियों तथा समकक्ष राजपत्रित अधिकारियों, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में

	शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, विधि अधिकारी, उप सचिव उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा परिषद्, स्टॉफ ऑफिसर मुख्यालय	05 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

परन्तु यदि क्रम संख्या (5) पर उल्लिखित पदों के सम्बन्ध में पर्याप्त संख्या में उपयुक्त पात्र अधिकारी पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हों तो सरकार द्वारा अपेक्षित सेवा अवधि को शिथिल किया जा सकता है।

आरक्षण

6. उत्तरांचल राज्य की अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग 4—अर्हता

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिए, या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, लंका तथा केनिया, युगाण्डा और संयुक्त तांजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो:

परन्तु, उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु, यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए भी उप पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तरांचल द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण—पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा:

परन्तु, यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है, प्रमाण—पत्र एक वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी—ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण—पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षणिक अर्हता

8. सेवा में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए:--

	पद	अर्हता
1.	उप प्रधानाचार्य/उप प्रधानाचार्या राजकीय इण्टर कॉलेज/ राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज, वरिष्ठ प्रवक्ता जिला	आवश्यक भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि।

पद	अर्हता
शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, वरिष्ठ प्रवक्ता/सहायक निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उप सचिव उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद्, स्टॉफ ऑफिसर मुख्यालय,	<u>अधिमानी</u> भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी0एड0) उपाधि अथवा किसी राजकीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा।
2. विधि अधिकारी	परिशिष्ट के क्रम 6 पर कार्यरत अधिकारियों में से जिन्होंने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो।

9. अभ्यर्थी जिसने– अधिमानी अर्हता

(1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, या

(2) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, उसे अन्य बातें समान होते हुए भी सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

10. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, जिस कैलण्डर वर्ष में आयोग द्वारा पद विज्ञापित किये जाते हैं, उस वर्ष की 01 जुलाई को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए: आयु

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी, जैसा कि विहित किया जाय।

11. सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधन करेगा। चरित्र

टिप्पणी–संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति की पात्र नहीं होगी: वैवाहिक प्रास्थिति

परन्तु, यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

13. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अनुमोदित किये जाने से पूर्व उसे आयुर्विज्ञान परिषद् की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी: शारीरिक योग्यता

परन्तु पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

भाग 5–भर्ती प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा

14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन उत्तरांचल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा।

सीधी भर्ती द्वारा

15. (1) प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अनुमति के लिए आयोग विहित प्रपत्र में आवेदन–पत्र मंगायेगा।

(2) आयोग द्वारा जारी प्रवेश–पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(3) लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने और उनके सारणीकरण के पश्चात् आयोग द्वारा नियम 6 के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा, जिन्होंने इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा नियत मानक के अनुसार अंक प्राप्त किये हों। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त अंक उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़े जायेंगे।

(4) आयोग प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों द्वारा प्रकट प्रवीणता के क्रम में सूची बनायेगा और नियुक्ति के लिए उतने अभ्यर्थियों की संस्तुति करेगा जिन्हें वह नियुक्ति के योग्य समझता है। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक बराबर हों तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नाम रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होंगे। आयोग द्वारा सूची नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

टिप्पणी–प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम और नियम आयोग द्वारा समय–समय पर विहित किये जायेंगे।

आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

16. आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती समय–समय पर यथा संशोधित उत्तरांचल लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003 के अनुसार उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के परामर्श से चयन द्वारा पदोन्नति ज्येष्ठता, अनुपयुक्त को छोड़कर, के आधार पर की जायेगी।

चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

17. (1) निदेशक विद्यालयी शिक्षा के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती गुणानुक्रम के आधार पर एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:–

(क) मुख्य सचिव	–	अध्यक्ष
(ख) विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तरांचल सरकार के यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव	–	सदस्य
(ग) प्रमुख सचिव या सचिव, उत्तरांचल सरकार, कार्मिक विभाग	–	सदस्य

(2) परिशिष्ट के क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित पदों पर पदोन्नति गुणानुक्रम के आधार पर एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:–

(क) मुख्य सचिव	–	अध्यक्ष

(ख) विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तरांचल
सरकार के प्रमुख सचिव या सचिव – सदस्य

(ग) प्रमुख सचिव या सचिव, उत्तरांचल सरकार,
कार्मिक विभाग – सदस्य

(3) परिशिष्ट के क्रम संख्या 3 से 5 पर उल्लिखित पदों पर पदोन्नति अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:–

(क) विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तरांचल
सरकार के यथास्थिति, प्रमुख
सचिव या सचिव – अध्यक्ष

(ख) प्रमुख सचिव या सचिव, उत्तरांचल सरकार,
कार्मिक विभाग या उनका नाम निर्दिष्ट
अधिकारी जो अपर सचिव के स्तर से
अन्यून स्तर का हो – सदस्य

(ग) निदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तरांचल – सदस्य

(4) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गुणानुक्रम/ज्येष्ठता के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी और उनकी चरित्र पंजिका तथा उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों के साथ चयन समिति के समक्ष रखी जायेगी, जो उचित समझे जायं।

(5) चयन समिति द्वारा उप नियम (4) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार किया जायेगा और यदि वह आवश्यक समझे तो उसके द्वारा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जा सकता है।

(6) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के आधार पर सूची तैयार कर उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगी।

संयुक्त चयन सूची

18. यदि किसी वर्ष नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो संगत सूचियों से नाम लेकर एक संयुक्त चयन सूची इस प्रकार तैयार की जायेगी जिससे विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग 6–नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

नियुक्ति

19. (1) उपनियम (2) के अध्यधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर जिसमें वे नियम 15, 16, 17 अथवा 18 यथास्थिति, के अधीन बनायी गयी सूचियों में हों, नियुक्ति करेगा।

(2) यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी है तो नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेंगी तब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न किया गया हो और नियम 18 के अनुसार संयुक्त सूचियां तैयार न की गयी हों।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति का आदेश जारी किया जाता है तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार या उस क्रम में, यथास्थिति, जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है, किया जायेगा। यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती हैं तो नाम नियम 18 में निर्दिष्ट चक्रीय क्रम में क्रमांकित किये जायेंगे।

परिवीक्षा

20. (1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरुद्ध रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा;

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, पृथक–पृथक मामलों में परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसी तारीख विनिर्दिष्ट की जायेगी, जब तक अवधि बढ़ायी जाय:

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप में प्रदान की गयी हो।

प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा

21. सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए चुने गये सभी अभ्यर्थियों से ऐसे प्रशिक्षण पूरा करने और ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी जो सरकार द्वारा समय–समय पर विहित की जाय। पदोन्नति द्वारा सेवा में प्रवेश करने वाले अभ्यर्थियों से सरकार ऐसा प्रशिक्षण पूरा करने और ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की भी अपेक्षा कर सकती है, जो वह समीचीन समझे।

स्थायीकरण

22. परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा यदि उसने–

(क) विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई है, उत्तीर्ण कर ली हो;

(ख) विहित प्रशिक्षण, यदि कोई है, सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो;

(ग) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो;

(घ) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित है; तथा

(ङ) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।

ज्येष्ठता

23. (1) एतद्पश्चात् की गई व्यवस्था के अतिरिक्त किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता का निर्धारण उत्तरांचल सरकारी सेवक (ज्येष्ठता निर्धारित) नियमावली, 2002 के अनुसार किया जायेगा। किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता का निर्धारण मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से किया जायेगा और यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी जिसमें उनके नाम उसकी नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किये जाते हैं:

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया जाता है तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति आदेश का दिनांक माना जायेगा तथा अन्य मामले में इसे आदेश जारी किये जाने का दिनांक माना जायेगा:

परन्तु और यह कि यदि चयन के पश्चात् किसी के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किए जाते हैं तो ज्येष्ठता वह होगी जो नियम 19 के उपनियम (3) के अधीन जारी किये गये संयुक्त नियुक्ति आदेश में उल्लिखित है।

(2) किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो, यथास्थिति, आयोग या चयन समिति द्वारा अवधारित की जाय:

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी पद का प्रस्ताव प्रदान किये जाने पर बिना वैध कारणों से कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उनके संवर्ग में थी जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है।

(4) जहाँ नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से अथवा किसी एक से अधिक स्रोत द्वारा की जाती हैं और स्रोतों का पृथक--पृथक कोटा विहित है तो परस्पर ज्येष्ठता नियम 18 के अनुसार तैयार की गई संयुक्त सूची के नामों को चक्रीय क्रम में इस प्रकार क्रमांकित कर अवधारित की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहे।

भाग 7--वेतन आदि

वेतनमान

24. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुज्ञेय वेतनमान वह होगा जो सरकार द्वारा समय--समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान नीचे दिए गए हैं:--

क्र0सं0	पद का नाम	वेतनमान
1.	निदेशक, विद्यालयी शिक्षा	18400—500—22400 रुपये
2.	अपर शिक्षा निदेशक (मुख्यालय), मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, अपर निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, सचिव उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा परिषद्	14300—400—18300 रुपये
3.	संयुक्त शिक्षा निदेशक (मुख्यालय), मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, अपर सचिव उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा परिषद्, जिला शिक्षा अधिकारी, वरिष्ठ विभागाध्यक्ष/संयुक्त निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्	12000—375—16500 रुपये
4.	ज्येष्ठ वेतनमान श्रेणी एक प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, वरिष्ठ प्रधानाचार्य सह विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, अपर जिला शिक्षा अधिकारी	10650—325—15850 रुपये
5.	ज्येष्ठ वेतनमान श्रेणी दो प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या राजकीय इण्टर कॉलेज/राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज, उप प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, विभागाध्यक्ष/उप निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उप निदेशक (मुख्यालय), संयुक्त सचिव उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा परिषद्	10000—325—15200 रुपये
6.	साधारण वेतनमान उप प्रधानाचार्य/उप प्रधानाचार्या राजकीय इण्टर कॉलेज/राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज, वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, वरिष्ठ प्रवक्ता/सहायक निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, विधि अधिकारी, उप सचिव उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा परिषद्, स्टॉफ ऑफिसर मुख्यालय	8000—275—13500 रुपये

परिवीक्षा अवधि के दौरान वेतन

25. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि स्थायी सरकारी सेवा में नही है, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने और प्रशिक्षण प्राप्त करने पर, जहाँ विहित हो, समयमान में प्रथम वेतन वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगी:

परन्तु यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें, ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।.

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा:

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सामान्य सेवारत सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग 8–अन्य प्राविधान

26. किसी पद या सेवा पर लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित संस्तुति से भिन्न संस्तुति पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के अयोग्य कर देगा। पक्ष समर्थन

27. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो इन नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते, सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सेवारत सरकारी सेवकों पर साधारणतः लागू विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे। अन्य विषयों का विनियमन

28. यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है तो वह इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी जो वह मामले के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा साम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझे: सेवा शर्तों का शिथिलीकरण

परन्तु उपबन्ध यह है कि जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया है, वहाँ नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त करने या शिथिल करने से पूर्व आयोग से परामर्श करना होगा।

29. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्धित किया जाना अपेक्षित हो। व्यावृति

'परिशिष्ट'

[देखिए नियम 4 का उपनियम (2)]

क्र0 सं0	पद का नाम	वेतनमान	संवर्गीय पद
1	2	3	4
1.	निदेशक, विद्यालयी शिक्षा	18400–500–22400 रुपये	01
2.	अपर शिक्षा निदेशक मुख्यालय–1 मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक–2 अपर निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्–1 सचिव उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा परिषद्–1	14300–400–18300 रुपये	05
3.	संयुक्त शिक्षा निदेशक मुख्यालय–3 मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक–4 अपर सचिव उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा परिषद्–1 जिला शिक्षा अधिकारी–13 वरिष्ठ विभागाध्यक्ष/संयुक्त निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्–5	12000–375–16500 रुपये	26
4.	ज्येष्ठ वेतनमान श्रेणी–एक प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान–13 वरिष्ठ प्रधानाचार्य सह विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी–95 अपर जिला शिक्षा अधिकारी–26	10650–325–15850 रुपये	134
5.	ज्येष्ठ वेतनमान श्रेणी–दो प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या राजकीय इण्टर कॉलेज/राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज–744 उप प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान–10 विभागाध्यक्ष/उप निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्–8 उप निदेशक मुख्यालय–8 संयुक्त सचिव उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा परिषद्–2	10000–325–15200 रुपये	772
6.	साधारण वेतनमान उप प्रधानाचार्य/उप प्रधानाचार्या राजकीय इण्टर कॉलेज/राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज–95 वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान–63 वरिष्ठ प्रवक्ता/सहायक निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्–20 विधि अधिकारी–03 उप सचिव उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा परिषद्–01 स्टॉफ ऑफिसर मुख्यालय–01	8000–275–13500 रुपये	183
	संवर्ग के कुल पदों की संख्या		1121

आज्ञा से,

एस0 के0 माहेश्वरी,
सचिव।